मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्र. / 98 / 2017–18 / भोपाल, दिनांक 6..01.2018

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   जिला समस्त
   मध्यप्रदेश
2. **जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी,**
   जिला–समस्त,
   मध्यप्रदेश
3. **परियोजना अधिकारी**
   एकीकृत बाल विकास परियोजना–समस्त,
   मध्यप्रदेश

विषयः–"समाधान एक दिन–तत्काल सेवा"व्यवस्था अंतर्गत लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से लाडली लक्ष्मी योजना के प्रकरणों की स्वीकृति ।

1. **सेवा का उद्देश्य**–नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल सेवा प्रदाय करने के लिये लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से एक दिवस में लाडली लक्ष्मी योजना के प्रकरण स्वीकृत करना।
2. **पदाभिहित अधिकारी** – जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त पदाभिहित / प्राधिकृत अधिकारी ।
3. **आवश्यक अभिलेख** –

क.	आवश्यक अभिलेख	प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था
1.	मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण–पत्र	तहसीलदार / नायब तहसीलदार से जारी
2.	आधार कार्ड (बालिका, माता अथवा पिता)	सत्यापन पोर्टल से
3.	जन्म प्रमाण पत्र	नगर निगम / नगर पालिका / ग्राम पंचायत द्वारा जारी
4.	आंगनवाडी केन्द्र में पंजीयन	आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न)
5.	बालिका का माता–पिता के साथ पासपोर्ट फोटोग्राफ	पदाभिहित / प्राधिकृत अधिकारी, लोक सेवा केन्द्र द्वारा सत्यापित
6.	द्वितीय बालिका के प्रकरण में परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र	ग्रीन कार्ड अथवा परिवार नियोजन कराये जाने संबंधी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र
7.	आयकर दाता न होने संबधी प्रमाण पत्र	स्व घोषणा पत्र (प्रारूप संलग्न)

उपरोक्त समस्त अभिलेख वेबसाईट पर आवेदन के साथ अपलोड़ होंगे।

4. **आवेदन करने का स्थान :-** लोक सेवा केन्द्र समस्त।

5. आवेदन करने की प्रकिया :-

- आवेदन पूर्ण अभिलेखों के साथ लोक सेवा केन्द्र में स्वीकार किये जायेंगे।
- आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाईन किया जायेगा।
- आवेदन प्रस्तुती की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गॉरंटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में आवेदक को प्रदाय की जायेगी।
- आवेदन में आवेदक अथवा अन्य सम्बधित व्यक्ति का मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त ई–मेल एड्रेस यदि उपलब्ध हो तो भरा जायेगा।
- आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गॉरंटी (आवेदन, अपील,पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) अधिनियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा।

6. आवेदन निराकरण करने की प्रकिया –

- लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर द्वारा आवेदन पंजीयन करते ही आवेदन ई–डिस्टिक्ट पोर्टल पर संबधित पदाभिहित अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के पोर्टल में दर्शित होने लगेगा।
- पदाभिहित अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कंडिका 3 अनुसार पात्रता एवं अभिलेखों का परीक्षण किया जायेगा।
- यदि आवेदक पात्र है तो पदाभिहित अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण कर लाडली लक्ष्मी योजना के पोर्टल से स्वीकृति जारी की जायेगी **(स्वीकृति प्रारूप संलग्न-)**। प्रमाण–पत्र बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी कर आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से सात दिवस में आवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- यदि आवेदक अपात्र है तो अपात्रता के कारण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आवेदन निरस्त किया जावेगा।
- इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन/सूचनाओं की एक डिजिटल रिपोजटरी वेबसाईट/पोर्टल पर संधारित की जायेगी।
- लोक सेवा केन्द्र से स्वीकृत प्रकरण परियोजना अधिकारी एवं जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के पोर्टल पर दर्शित होंगे। इस प्रकार के प्रकरणों में हितग्राही परियोजना अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रकरणों की तरह ही आगामी लाभ के पात्र होंगे। अतः जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी उक्तानुसार ही आगामी कार्यवाही करेंगे।

आवेदक द्वारा दिये जाने वाले आयकर प्रमाण पत्र का प्रारूप

आयकर प्रमाण पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि, मै आयकर–दाता नहीं हूं एवं मेरे द्वारा दिये गये उक्त सभी तथ्य सही है, अगर इन तथ्यों में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति या झूठ पाया जाता है तो उसके लिये मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं और मुझे प्राप्त समस्त लाभ सरकार को वापिस देने के लिए सहमत हूं.

- कोई विसंगति या झूठ पाए जाने पर मेरे द्वारा दिया गया आवेदन–पत्र किसी भी समय रद्द किया जा सकता है.

- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा किसी भी अन्य आंगनवाड़ी केन्द्र से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

दिनांक ....

आवेदक का नाम–
हस्ताक्षर–

प्रारूप

आंगनवाडी पंजीयन प्रमाण पत्र

कुमारी .... माता .... पिता .... की प्रथम/द्वितीय संतान, निवासी वार्ड/ग्राम ....विकासखण्ड...... तहसील...................... परियोजना .... जिला .... के आंगनवाडी केन्द्र .... में उपस्थिति पंजी के कमांक .... पर दर्ज है।

आंगनवाडी कार्यकर्ता का नाम–
परियोजना का नाम–
परियोजना का कोड–
दिनांक–

सील व हस्ताक्षर

प्रारूप

लाड़ली लक्ष्मी योजना स्वीकृति प्रमाण–पत्र

कुमारी .... पुत्री श्री ....

पत्नि श्रीमती ....निवासी ग्राम ....

आंगनवाड़ी केन्द्र कं................................ के परियोजना ....

जिला ....के नाम से लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रमाण–पत्र आंगनवाडी केन्द्र से 07 दिवस के भीतर प्राप्त करें।

(प्राधिकृत अधिकारी)
लोक सेवा केन्द्र...........
जिला......

samadhan/1 day

7. शुल्क–

- विभाग द्वारा इस सेवा के लिये किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है।
- लोक सेवा केन्द्र से आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क केन्द्र संचालक को देना होगा।

8. आदेश/निर्देशों का अधिक्रमणः–

लोक सेवा केन्द्र पर अब केवल समाधान 01 दिन के तहत् लाड़ली लक्ष्मी योजना स्वीकृति के आवेदन प्राप्त किये जायेगे। इस संदर्भ में परिपत्र क्रमांक 2437/2766/2017/50–2, भोपाल दिनांक 25.10.2017 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

9. अपील–

समाधान एक दिवस में भी अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आवेदक लोक सेवा गॉरंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार अपील कर सकेगा।

6/1/18

(जे.एन. कांसोटिया)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ.क्र./मस/99/2017–18 **भोपाल, दिनांक 6/01/2018**

प्रतिलिपिः–

1 निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्री जी महिला एवं बाल विकास विभाग,म.प्र.।
2 आयुक्त, महिला सशक्तिकरण/एकीकृत बाल विकास सेवा, म.प्र.।
3 संभागायुक्त, संभाग समस्त, म.प्र. ।
4 प्रभारी लोक सेवा केन्द्र, समस्त, म.प्र.।
5 संभागीय संयुक्त संचालक/जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा–समस्त, म.प्र।
6 संभागीय उप संचालक, महिला सशक्तिकरण संभाग–समस्त, म.प्र.।

6/1/18

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग